[Shri Kanwar Lal Gupta]

here also, the Minister is supposed to clarify all these things, not only the allegation. That is my point.

MR. SPEAKER: It is only a suggestion and not a point of order. You kindly reply to the allegation.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I am sorry that I..

AN HON. MEMBER : made a statement

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : ...lost my temper for a minute while replying to my hon friend—he is an esteemed member of this House—Shri Shyamnandan Mishra. Obviously habits persist. But I would like to assure Mishraji and through you, the entrie House that the Ministry of Home Affairs and the Ministry of External Affairs have been working in close co-operation on the question of impounding of pass ports. But my statement related to the liberalisation, not to issuing of passports. That is why I said...(*Interruptions*) There should be no misunderstanding on that score. Whatever has been published in the papers is not correct. There is perfect co-ordination between the two Ministries.

MR. SPEAKER : Shri Verma.

SHRI VAYALAR RAVI . On this I want a clarification.

MR SPEAKER : No further clarification. I am not allowing..(*Interruptions*) I am not allowing any more clarifications. I have called Mr. Verma.

SHRI VAYALAR RAVI : I want a clarification on item No. 12.

In this very House Mr. George Fernandes when he was in charge of this Ministry made a policy statement. According to Constitution, Art. 75(3) it is the collective responsibility of the Ministry. When Mr. Fernandes made a statement of policy on the Communications Ministry on the floor of this House, we believed it was the policy of the government. Now, the Minister has changed. Here it is stated "some aspects" and not a change. You are within your right to change the policy. I am not questioning. Here, the order paper says "some aspects of the policy". It is not a new policy or a change in the policy but some aspects of the policy. My point is whether the government can change policies according to the change in the Ministers.

MR. SPEAKER : There is no point or order. It is always open to the government to change its policy.

12.40 hrs.

STATEMENT *RE.* SOME POLICY AND TELECOMMUNICATION SERVICES

संचार मन्त्री (श्री बृज लाल वर्मा) : मैं संचार मन्त्रालय को कार्य सम्बन्धी नीतियों में मोटे तौर पर जो कुछ तब्दीलियां करने की सोच रहा हूं उनकी सूचना सदन को देना चाहता हूं । अब देश में ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में दूरसंचार और डाक सुविधाओं के विकास पर और साथ साथ इन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा ।

अब तक की नीति के अन्तर्गत टेलीफोन और तार सुविधाएं सभी जिलों सब-डिवीजनों तस्सीलों और ब्लाकों के सदर-मुकामों और उन जगहों में जिनकी आबादी 10,000 से अधिक है, दी जा रही थी । अब मैंने निर्देश दे दिया है कि ग्रामीण इलाकों में जिन जगहों की आबादी 5,000 या उससे अधिक हो और पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में जिन जगहों की आबादी 2500 और उससे अधिक हो उन जगहों में भी टेलीफोन और तार की सुविधाएं देने की योजना बनाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय । नई नीति के अनुसार इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए विभाग को होने वाली आमदनी का अन्दाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी जैसा कि पहले होता था । इस नीति से करीब 2000 हजार नए स्थानों में टेलीफोन के पी० सी० ओ० और तारघर खुल जायेंगे ।

ग्रामीण इलाकों में ऐसी जगहों में भी जिनकी आबादी इससे कम हो टेलीफोन और तार की सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से मैंने हिदायत दी है कि उन जगहों में भी ये सुविधायें दी जाएं जहां सब-इन्सपेक्टर के चार्ज वाला पुलिस थाना हो ।

इसी जगहो मे यह देखा जाएगा कि आमदनी कम से कम सालाना खर्च की 25 प्रतिशत और पिछडे इलाको मे कम से कम 15 प्रतिशत तथा पहाडी इलाको मे कम से कम 10 प्रतिशत हो । इस योजना के अन्तर्गत 1000 नई जगहो मे टलीफोन और तार की सेवाओ का विस्तार हो जाने की सम्भावना है।

इस प्रकार आशा है कि लगभग 4,000 नई जगहो मे टलीफोन और तार की सुविधाए दी जायेंगी। इनमे से 1,000 स्थान ऐसे हैं जहा पिछली नीति के अन्तर्गत ये सुविधाए दी जानी थी और 3,000 गाव ऐसे है जहां नई नीति के अन्तर्गत इन सुविधाओ का विस्तार किया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बतलाया है, हमारा इरादा यह है कि अगले दो वर्षों मे इन सभी जगहो मे ये सुविधाए दे दी जाए। 2,000 स्थानो मे चालू वर्ष मे ही और शेष स्थानो मे अगले वर्ष 1978–79 के दौरान, जो कि पाचवी पचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होगा, टेलीफोन और तार की सुविधाए उपलब्ध करा दी जायेगी । तुलना के तौर पर यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के कुल मिलाकर लगभग 2,600 स्थानो म ये सुविधाए दी गई जबकि शेष दो वर्षों मे 4,000 स्थानो मे ये सुविधाए दी जायेगी ।

इस समय देश के 1 लाख 8 हजार से अधिक गावो मे डाकघर काम कर रहे है। चालू वर्ष मे हमने 3,100 गावो मे नए डाकघर खोलने की योजना बनाई है इसके अतिरिक्त इसी वर्ष मे चलते-चलते डाकघरो के जरिए 50,000 नए गावो मे डाक काउटर सुविधाए देने की योजना बना ली गई है। पोस्टमास्टर साइकिलो पर पडोस के गावो मे जायेंगे और वहा डाक-घर की सेवाए प्रदान करेंगे। इस योजना के पूरा होने पर इस वर्ष के अन्त तक 1 लाख 62 हजार से भी अधिक गांवो मे डाक लेखन सामग्री की बिक्री और रजिस्ट्री, पार्सल और मनीआर्डर आदि की बुकिंग और वितरण जैसी डाक काऊटर सुविधाए उपलब्ध हो जायेंगी।

इस समय देश के 2 लाख गांवो मे लेटर-बक्स लगे हुए हैं। नई योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 1 लाख नए गावो मे और लेटर-बक्स लगा देने का इरादा है ।

आप जानते ही हैं कि इस वर्ष के अन्त तक देश के लगभग सभी गावो मे दैनिक डाक वितरण योजना का विस्तार हो जाने की सम्भावना है।

इन सभी नई योजनाओ के पूरा हो जाने पर इस समय जितने गावो मे डाक काउंटर सुविधाए और लेटर-बक्स सुविधाए उपलब्ध हैं, उसके लगभग 50 प्रतिशत अधिक गावों मे इन सुविधाओ का विस्तार इसी वर्ष हो जायेगा। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक देश के सभी गावो मे रोजाना डाक वितरण, 50 प्रतिशत से अधिक गावो मे लेटर-बक्स और 25 प्रतिशत से अधिक गावो मे डाक काऊटर की सुविधाए सुलभ हो जाएगी।

टेलीफोन सलाहकार समितियो के गठन मे निहित युक्ति पर भी गहराई मे विचार किया गया है। अब तक देश मे केवल शहरो के लिए 96 टेलीफोन सलाहकार समितिया बनी हुई थी। अब मैंने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक राज्य और सघ शासित क्षेत्र के लिए अलग-अलग टेलीफोन सलाहकार समिति बनाई जाए, जो न केवल शहरो के लिए बल्कि गावो सहित समूचे राज्य के टेलीफोन एक्सचेजो और पी०सी०ओ० की टेलीफोन सेवाओ के सबध मे विभाग को सलाह दे। राज्यो की ऐसी टेलीफोन सलाहकार समितियो के अलावा उन बडे शहरो मे भी जहा 10,000 से अधिक टेलीफोन काम कर रहे हैं, अलग-अलग टेलीफोन सलाहकार समितियो का गठन किया जाएगा। इस

[श्री बृज लाल वर्मा]

प्रकार अब केवल 49 टेलीफोन सलाहकार समितियां होगी।

मैंने यह भी फैसला किया है कि अब से कमेटी के अध्यक्ष और सचिव—जो सरकारी अधिकारी होते हैं—के अलावा इन टेलीफोन सलाहकार समितियों में अधिक से अधिक 21 सदस्य होंगे। इन उपायों से मैं आशा करता हूं कि टेलीफोन सेवा को बेहतर बनाने और इसके सम्यक विस्तार के बारे में टेलीफोन उपभोक्ताओं और प्रशासन के बीच और घनिष्ट तालमेल स्थापित होगा।

आशा है कि सितम्बर, 1977 तक इन समितियों का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। इनका कार्य-काल दो वर्ष होगा। इन टेलीफोन सलाहकार समितियों में ससद् के राज्यों के विधान-मडलों के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।

टेलीफोन सलाहकार समितियों के ढांचे में होने वाले परिवर्तन का क्षेत्रीय डाक-तार सलाहकार समितियों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। वे पहले की भांति ही कार्य करती रहेंगी।

उच्च स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए सारे देश में फैले दूरसंचार यंत्रों और लाइनों को सामूहिक तौर पर सुगठित करने के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

खास तौर पर बरसात के मौसम में टेलीफोनों की खराबियों की रोक थाम के लिये मुख्य नगरों में टेलीफोन के केबुलों को प्रेशराइज करने की एक विशेष योजना बनाई गई है। ऐसे नगरों के टेलीफोनों में लगे खास-खास केबुलों की लम्बाई लगभग 12,500 किलोमीटर है। पिछले तीन वर्षों में इनमें 3,000 किलोमीटर केबुल प्रेशराइज किये जा चुके हैं। शेष 9,500 किलोमीटर केबुल भी अगले दो वर्षों में अर्थात् 1979 में बरसात प्रारंभ होने से पहले प्रेशराइज कर देने की योजना बनाई गई है। इसमें से करीब आधे केबुलों को प्रेशराइज करने का कार्य 1978 में अगली बरसात प्रारम्भ होने से पहले पूरा हो जाने की संभावना है।

जेली-भरे हुए विशेष केबुलों का भी अधिक प्रयोग किया जाएगा। खास केबुलों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से मुख्य सडकों के नीचे या महत्वपूर्ण सडकों के किनारे, जिनके पक्के फर्श बनाए जा रहे है, पक्की बद नालिया बनाने की योजना बनाई गई है ताकि इन केबुलों को बडे पैमाने पर क्षति पहुचने से बचाया जा सके।

एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें चाल वर्ष में एक्सचेंजों के साज-सामान की बारीकी से चैकिंग और ओवरहालिंग की जाएगी। पेटाकोण्टा क्रासबार एक्सचेजों की सेवा में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल यह कार्य करेगा। उपभोक्ताओं के टेलीफोन यंत्रों और फिटिंगों की जाच के लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा। आशा है कि इस वर्ष पूरे देश के करीब 50 प्रतिशत टेलीफोन यंत्रों और फिटिंगों की पूरी तरह जाच और ओवरहालिंग कर दी जाएगी और शेष कार्य अगले वर्ष पूरा कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों की एक टीम टेलीफोन इन्स्ट्रूमेंट और डायल की क्वालिटी की जाच कर रही है। यह समिति इनमें सुधार के उपाय बतलाएगी, जिससे कि ये यंत्र बगैर खराबी के अधिक से अधिक समय तक अच्छी सेवा दे सकें। चार बडे टेलीफोन जिलों के सगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के लिए मैंने एक उच्चस्तरीय समिति बना दी है। उस समिति ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है।

अपनी विदेश दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और उनके आधुनिकीकरण (मार्डनाइजेशन) पर अधिक बल दिया जाएगा। हमारी यह योजना है कि इस वर्ष के

अंब तक उन 39 देशो मे से 36 देशों के साथ जिनके यहां हिंद महासागर इंटेलसेट उपग्रह की ओर उन्मुख मानक भू-उपग्रह केन्द्र (स्टेंडर्ड अर्थ-स्टेशन) है, हम सीधी उपग्रह सचार सेवा स्थापित कर लें। अपनी यह योजना पूरी करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। सोवियत रूस के साथ सीधे ट्रोपोस्केटर सपर्क स्थापित करने और मद्रास को मलेशिया के साथ जोडने वाले अन्त समुद्री (सब-मैरीन) केबुल की स्कीमे भी हाथ मे ले, ली गई है। दिल्ली और बम्बई मे अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन और टेलेक्स सेवाओ के लिए आधुनिक गेट-वे एक्सचेज बनाने की योजना बनाई गई है। देहरादून के भू-उपग्रह केन्द्र म ऐसा उपस्कर लगाया गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारणो का सचालन करने मे सक्षम है। ये परियोजनाए पूरी होने पर भारत की विदेश दूर-सचार सेवाए विश्व के किसी भी उन्नत देश की ऐसी सेवाओ के मुकाबले की हो जाएगी।

SHRI VAYALAR RAVI Sir, I rise on a point of order

MR. SPEAKER He is on a point of order. What is your point of order ?

SHRI VAYALAR RAVI My point of order is this. Just now the Minister said about the extension of the international subscriber dialing telephone service to the whole of U.K Only a few days ago when the House is in session the hon. Minister made a press statement on the same subject—a week ago outside—and today he makes a policy statement That is my point of order He made a press statement last week.

MR. SPEAKER You could have raised the privilege question and not a point of order. You cannot raise a point of order that he cannot make his statement.

SHRI K P UNNIKRISHNAN (Badagara) He regards this as a privilege and so he reserves his right to move a privilege motion.

MR. SPEAKER · That is a different matter. I have already ruled out his point of order.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Sir, I rise on a point of order. My point of order is that when the hon. Members of the Opposition raise points of order, they should not threaten that they are going to bring a privilege motion That is what I object to.

MR SPEAKER · I think the rules require to be changed. When the points of order are raised several Members should not raise them every day

PROF P G MAVALANKAR (Gandhinagar) *rose*—

MR SPEAKER Is it a point of order ? Any other thing was not allowed

PROF P G MAVALANKAR Kindly listen to me When the hon Minister was making a policy statement he had gone into other questions

MR SPEAKER That is not a point of order You should have said it earlier.

PROF P.G MAVALANKAR Sir, I am only making my submission The hon Minister, while making a statement has gone into the entire gamut of the working of the various departments in his Ministry last week I would be brief, Sir, Last week while the Minister was replying to specific questions, you had permitted supplementaries.

MR SPEAKER Under what rule you are making your submissions ?

PROF P G. MAVALANKAR Sir, I wrote to you seeking your permission before 10 O'clock I took care to write a letter to you seeking permission earlier to speak

MR SPEAKER You cannot do that Rule 372 does not provide for that That is why, in this particular case, last time, a certain indulgence was given, And everybody had started making submissions Hence, I am not allowing it now.

PROF P G MAVALANKAR Under Rule 377 I have a right.

MR SPEAKER No please. The hon Minister may continue now

श्री ब्रजलाल वर्मा : इस समय बम्बई और लन्दन तथा नई दिल्ली और लन्दन के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एस० टी० डी० (उपभोक्ता

श्री बृजलाल वर्मा]

ट्रक डायलिंग) टेलीफोन सेवा दिन में कुछ समय के लिये उपलब्ध है। सितम्बर 1977 के अंत तक समूचे ब्रिटेन के लिये यह सेवा चौबीसो घंटे मिलने लगेगी। आशा है कि मार्च 1978 तक ऐसी सेवा संयुक्त राज्य अमरीका के न्यूयार्क और वाशिंगटन नगरो के लिये भी चालू हो जायेगी।

मेरे मंत्रालय के अधीन जो दूर संचार उपस्कर का निर्माण करने वाली यूनिटें अर्थात इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड और डाक तार कारखाने हैं, उन की वर्तमान उत्पादन क्षमताओ का मैं इस दृष्टि से पुनरीक्षण कर रहा हू कि उन की उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ जाये कि वे देश की सभी आवश्यकताये पूरी कर सके। मेरा यह प्रयत्न होगा कि अगले तीन चार वर्षों में दूरसंचार के उच्च कोटि के साज सामानो के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो जाये।

जब से मैंने संचार मंत्री का कार्यभार संभाला हु, विभाग के अधिकारियो कर्मचारियो और उन के संघो के प्रतिनिधियो के साथ मेरा घनिष्ट सम्पर्क होता रहा है। उन्होने मुझे विश्वास दिलाया है कि वे अधिक कुशल, विश्वसनीय और उच्चकोटि की सेवा प्रदान करने मे अपना पूर्ण समर्थन देगे। विभाग के सभी कर्मचारियो के ऐसे बढे हुए उत्साह और उन के पूर्ण सहयोग को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य मे हम सभी तरह से बेहतर सेवा प्रदान करने मे सफल होगे।

---

12 55 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4 अगस्त, 1977 को लोक सभा मे निन्दा प्रस्ताव पर बोलते समय श्री उन्नीकृष्णन ने गृह मंत्री एव मेरे विरुद्ध व्यक्तिगत, अनर्गल एव असत्य आरोप लगाए थे उस विषय मे मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूगा।

डा० जे० पी० सिंह जो चौधरी साहब के दामाद है विलिग्डन अस्पताल मे सर्जन हैं उन्होने 24 मार्च, 1972 को श्री कटेश्वरनाथ के पेट का आपरेशन किया और उस आपरेशन के दौरान एक बैवकाक फोसेंप उनके अमाशय म रह गया जो 28 मार्च, 1972 को निकाल दिया गया। इस घटना के तुरन्त बाद 4 अप्रैल, 1972 को डा० एल० आर० पाठक जो उस समय विलिग्डन अस्पताल मे सर्जरी विभाग के प्रधान थे और डा० डी० बी० बिष्ट जो उस समय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक थे, दोनो ने इस घटना के लिए डा० जे० पी० सिह को बिल्कुल दोषी नही पाया। बाद मे इस घटना के संबध मे लिए गये बयानो के आधार पर तत्कालीन महानिदेशक ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

"Staff Nurse, Kunju Kutty, who relieved staff nurse, B Abraham, during the course of operation on Shri Kateshwar Nath at 1 35 p m. has in her statement admitted that the surgeon at the time the operation ended had asked routinely if every count was O K and that she answered "Yes".

Staff Nurse Kutty is accordingly responsible for having missed to count the number of instrument which were available with her after the operation has ended

I consider that the responsibility for the mishap is of the nurses who assisted the surgeon in the operation."

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि डा० जे० पी० सिह की इस असावधानी के लिए कोई जिम्मेदारी इन अधिकारियो ने अपनी पहली जांच मे नही रखी। पत्रावली को देखने से ज्ञात होता है कि इस मामले की जांच के दौरान डा० एस० सी० भाटिया, जूनियर मेडिकल ओफिसर, विलिग्डन अस्पताल, कुंजी